"बिजनेंस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ़ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6815/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018), जो मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2018)
छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018.

विषय सूची

खण्ड विवरण

अध्याय–तीन

अग्नि निवारण और स्व–नियमन

अध्याय–चार

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का नियंत्रण और अनुशासन

22. अग्निशमन अधिकारियों को हमेशा कर्तव्य पर समझा जाएगा और वे राज्य के किसी भी भाग में नियुक्त किये जाने हेतु बाध्य होंगे.
23. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को समाज के लिए आवश्यक सेवा घोषित करना.
24. कर्तव्य के उल्लंघन के लिए शास्ति.
25. किसी संगठन को सृजित करने के अधिकार संबंधी प्रतिबंध.

अध्याय—पांच

अग्निशमन कर, शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

26. अग्निशमन कर का उद्ग्रहण.
27. अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति.
28. निधि का गठन.
29. राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के परिनियोजन पर शुल्क.
30. अन्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाएँ.
31. सहायता हेतु व्यवस्थाओं में सम्मिलित होने हेतु महानिदेशक की शक्तियाँ.
32. शासकीय भवनों के लिए कर में छूट.

अध्याय— छः

राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष प्रावधान

33. निरीक्षण हेतु प्रवेश की शक्ति एवं अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा.
34. अपील.

अध्याय—सात

विविध

54. क्षेत्राधिकार.

55. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

56. अधिकारियों का लोक सेवक होना.

57. अपराध और शास्ति.

58. कंपनियों द्वारा अपराध.

59. नियम बनाने की शक्ति.

60. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

61. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2018)
छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018.

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की स्थापना करने, सेवा की शक्तियों एवं कृत्यों को अभिकथित करने और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित

अध्याय—एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि पर किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा विभिन्न प्रावधानों के लिए, विभिन्न तिथियां नियत कर सकेगा।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) **"अपर जिला मजिस्ट्रेट"** से अभिप्रेत है शासन का कोई अधिकारी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप—धारा (2) के अधीन अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हो;

(2) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अधिकारी, जो

विहित नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी से दो श्रेणी उच्चतर हो ;

(3) **''यथोचित न्यायिक प्राधिकार''** से अभिप्रेत है अभियोजन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अधिकारिता रखने वाले प्राधिकार;

(4) **''भवन''** में सम्मिलित है ऊंची इमारत (गगनचुंबी), घर, बहिर्गृह (आऊट हाऊस), अस्तबल, गोदाम, शेड (सायबान), झोपड़ी, दीवार (बाउंड्रीवॉल के अलावा) हदबंदी (घेरा), चबूतरा और कोई अन्य संरचना, चाहे वह पक्की चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु अथवा किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो;

(5) **''भवन उप–विधियाँ''** से अभिप्रेत है किसी तत्संबंधी नगरपालिका विधि के अंतर्गत उप–विधि, नियम या विनियम और जिसमें भूमि विकास नियम 1984, तत्समय प्रवृत्त तथा वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत निर्मित विकास नियंत्रण नियम या कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित है;

(6) **''महानिदेशक''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;

(7) **''आपदा''** से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में दुर्घटना या किसी असावधानी के कारण घटित प्राकृतिक या मानव निर्मित त्रासदी, तबाही, आपदा या गंभीर क्षति, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जीवन हानि या मानवीय कष्ट अथवा सम्पत्ति का विनाश हुआ हो और क्षति पहुंची हो अथवा पर्यावरण में ह्रास हुआ हो और ऐसी प्राकृतिक या परिणामिक घटना हो जो प्रभावित क्षेत्र के

समुदाय (लोगों) द्वारा सामना करने की क्षमता से परे हो और जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) समय–समय पर यथा संशोधित में परिभाषित हो;

(8) **"जिला अग्निशमन अधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो;

(9) **"जिला मजिस्ट्रेट"** से अभिप्रेत है शासन का ऐसा अधिकारी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(10) **"संभागीय अग्निशमन अधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो;

(11) **"आपातकाल"** से अभिप्रेत है गंभीर परिस्थितियां या घटना, जो अनायास सृजित होती है और जिसके लिए अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं की तत्काल कार्रवाई की मांग होती है;

(12) **"आपातकालीन सेवा"** से अभिप्रेत है किसी आपदा में रिक्तिकरण, बचाव और राहत कार्य;

(13) **"शामियाना (पण्डाल) का निर्माणकर्ता"** से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह संगठन हो या अन्यथा हो, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के अधिवास के लिए किसी संरचना या पण्डाल का निर्माण करता हो या बनाता हो;

(14) **"अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन शासन द्वारा

राज्य में स्थापित अग्निशगन एवं आपातकालीन सेवा;

(15) **"अग्निशमन जिले"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;

(16) **"अग्निशमन संभाग"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;

(17) **"अग्निशमन शुल्क"** से अभिप्रेत है अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उद्ग्रहित, प्रभारित, अधिरोपित अथवा संग्रहित कोई शुल्क;

(18) **"अग्निशमन सम्पत्ति"** से अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,–

(क) अग्निशमन केन्द्रों के रूप में उपयोग की जाने वाली भूमि एवं भवन;

(ख) अग्निशमन हेतु प्रयुक्त अग्निशमन इंजनों, उपकरणों, यंत्रों, औजारों एवं जो भी अग्निशमन हेतु प्रयुक्त हो;

(ग) अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान या परिवहन का अन्य साधन; और

(घ) वर्दियां और पदों की बैजें;

(19) **"अग्निशमन अधिकारी"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई परिचालित सदस्य;

(20) **"अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा निधि"** से अभिप्रेत

है ऐसी निधि, जो इस अधिनियम की धारा 28 की उप–धारा (1) के अधीन गठित है और जो एक पृथक बैंक खाते द्वारा अनुरक्षित है;

(21) **"अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय"** से अभिप्रेत है ऐसा उपाय, जो अग्नि के रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए तथा अग्नि की स्थिति में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए भवन उप–विधियों/भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार या इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित किये गये अनुसार आवश्यक है;

(22) **"अग्निशमन केन्द्र"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान, जिसे शासन द्वारा सामान्यतः या विशेषतः अग्निशमन केन्द्र घोषित किया गया हो;

(23) **"अग्निशमन अनु–विभाग"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;

(24) **"अग्निशमन कर"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 26 में इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट भूमि और भवनों पर शासन द्वारा उद्ग्रहित कर;

(25) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विहित प्ररूप;

(26) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(27) **"स्थानीय प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है नगर निगम या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबंधित नगरपालिका विधि या नगर निवेश विकास प्राधिकरण के अधीन गठित कोई औद्योगिक टाऊनशीप

अथवा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण;

(28) **"स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा"** से अभिप्रेत है राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;

(29) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के संबंध में **"सदस्य"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(30) **"सेवा के सदस्य"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति;

(31) **"बहुमंजिला भवन (इमारत)"** से अभिप्रेत है ऐसे न्यूनतम ऊँचाई के भवन, जैसा कि इस निमित्त बनाये गये नियमों के अंतर्गत विहित किया जाए तथा स्थानीय प्राधिकारी या शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(32) **"भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथा संशोधित पुस्तक, जिसमें भवनों, स्थलों, परिसरों, कार्यशालाओं, वेयरहाऊसों और उद्योगों में कियान्वित किए जाने वाले अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपाय अंतर्विष्ट हैं, जिसे समय–समय पर संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना, भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रकाशित किया गया हो;

(33) **"नामांकित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नामांकित प्राधिकारी के रूप में महानिदेशक द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो

जिला अग्निशमन अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो;

(34) ''**नामांकित अधिकारी**'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु महानिदेशक द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो जिला अग्निशमन अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो :

परंतु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न अधिकारियों को नामांकित किया जा सकेगा;

(35) ''**अधिसूचना**'' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं शब्द ''**अधिसूचित**'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(36) ''**अधिभोग (कब्जा)**'' से अभिप्रेत है सैद्धांतिक रूप से अधिभोग (कब्जा), जिसके लिए भवन या भवन के किसी भाग को प्रयुक्त किया जा रहा हो या प्रयुक्त किया जाना आशयित हो, जिसमें सहायक अधिभोग (कब्जा), जो उस पर प्रासंगिक है, सम्मिलित है;

(37) ''**कब्जाधारी**'' से अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,–

(क) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे किसी भूमि या भवन, जिसके संबंध में ऐसा किराया देय है या देय योग्य है, के लिए स्वामी को किराया अथवा किराये के किसी भाग का तत्समय भुगतान कर रहा हो अथवा भुगतान के लिए दायी हो;

(ख) अपनी भूमि या भवन का उपयोग करने वाला कब्जाधारी स्वामी या अन्य;

(ग) किसी भूमि या भवन का किराया–मुक्त किरायेदार;

(घ) किसी भूमि या भवन का अनुज्ञप्ति कब्जाधारी;

और

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और कब्जे के लिए भवन स्वामी को क्षति का भुगतान करने हेतु दायी हो;

(38) **"अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी"** में सम्मिलित है ऐसे अधिकारी की श्रेणी के आगामी स्तर का अग्निशमन अधिकारी और केन्द्र में उपस्थित अधिकारी, जब अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, केन्द्र से अनुपस्थित हो या बीमारी के कारण या किसी अन्य कारणवश, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो;

(39) **"राजपत्र"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का राजपत्र ;

(40) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के **"परिचालित सदस्य"** से अभिप्रेत है अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के ऐसे कोई सदस्य, जिनके लिए अग्निशमन वाहन को चलाना या परिचालन करना अपेक्षित हो और जिनके लिए अग्नि के उचित रूप से शमन के लिए अग्निशमन उपकरणों और उपस्करों का प्रयोग अग्निस्थल पर करना और उसका भाग होना आवश्यक हो;

(41) **"स्वामी"** में सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है अथवा पाने का हकदार है, चाहे वह स्वयं अथवा किसी अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक या प्राप्तकर्ता के रूप में प्राप्त कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किराया प्राप्त करना चाहिए या जो प्राप्त करने का

हकदार है यदि किसी भूमि या भवन या इसके किसी भाग को किरायेदार को किराये पर दे दिया हो;

(42) **"पण्डाल"** से अभिप्रेत है पुआल, सूखीघास, उलूघास, गोलपट्‌टा, होगला, डर्मा, चटाई, कैनवास, कपड़े या इसी प्रकार की अन्य सामग्री से निर्मित छत या दीवारों की एक अस्थायी संरचना, जिसका उपयोग स्थायी या निरंतर आधिवास के लिए नहीं किया जाता है;

(43) **"योजना प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगर निवेश विकास प्राधिकरण नियम 1973, (क्रमांक 23 सन 1973) के अधीन अधिसूचित निर्धारित विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नामांकित कोई भी प्राधिकरण;

(44) **"परिसर"** से अभिप्रेत है किसी भूमि या किसी भवन या किसी भवन के भाग, और इसमें बगीचा, मैदान और बर्हिगृह, यदि कोई हो, किसी भवन से सम्बद्ध कोई उपांग या भवन का कोई भाग, और कोई भूमि या कोई भवन या भवन के उपांग का भाग, जिसे किसी विस्फोटकों, विस्फोटक पदार्थों और खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है;

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा में "विस्फोटक" "विस्फोटक पदार्थ" और "खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ" के वही अर्थ होंगे, जैसा कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4), विस्फोटक (पदार्थ) अधिनियम, 1908 (1908 का 6) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है;

(45) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(46) **"विहित प्राधिकार"** से अभिप्रेत है शासन द्वारा, उसकी ओर से या उसके नाम से कार्य करने हेतु, अधिसूचित प्राधिकार ;

(47) **"संबंधित नगरपालिका विधि"** से अभिप्रेत है किसी नगरनिगम या किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा विरचित कोई विधि;

(48) **"नियम"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम;

(49) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(50) **"सेवा"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित और अनुरक्षित छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;

(51) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(52) **"राज्य नियम"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाया गया नियम;

(53) **"अग्निशमन केन्द्र अधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) के अधीन नियुक्त किया गया हो;

(54) **"अनुविभागीय मजिस्ट्रेट"** से अभिप्रेत है शासन का अधिकारी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप–धारा (4) के अधीन अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(55) "अधीनस्थ (सहायक) परिचालित स्टॉफ" में सम्मिलित है फायरमेन, लीडिंग फायरमेन, चालक की श्रेणी और किसी अन्य समतुल्य श्रेणी का अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का प्रत्येक सदस्य।

अध्याय–दो
अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का गठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

सम्पूर्ण राज्य के लिए एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा.

3. (1) पूरे राज्य के लिए एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा होगी तथा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के सभी अधिकारी और अधीनस्थ श्रेणी, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के किसी भी शाखा में तैनाती के लिए उत्तरदायी होंगे:

परंतु यह कि शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी अग्निशामक दल अथवा किसी अन्य स्थानीय अग्निशामक दल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार के किसी अन्य स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, की घोषणा कर सकेगा कि वह किसी भी समय राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का भाग रहेगा अथवा नहीं रहेगा:

परंतु यह और कि यह स्थिति, किसी विशिष्ट भवन या उद्योग के स्वामी या उसके कब्जाधारी द्वारा स्थापित अग्निशमन सुरक्षा के प्रदाय हेतु अनुरक्षित निजी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार के

संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशामक या अग्नि रोकथाम से संबंधित सेवाओं को, राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के एक भाग के रूप में, ऐसी तारीख से, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, घोषित कर सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन इस प्रकार की घोषणा किये जाने पर,–

(एक) इस घोषणा के तत्काल पूर्व, किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित सभी कार्रवाईयां, उस कार्यालय के प्रभारी की हैसियत से उसके समक्ष लंबित कार्रवाई समझी जायेगी;

(दो) इस प्रकार के स्थानीय प्राधिकारों के स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार और देनदारियां, ऐसे निबंधनों और शर्तों, जैसा कि शासन उचित समझे, के अध्यधीन रहते हुए, राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को स्थानांतरित हो जायेगी;

(तीन) शासन, ऐसी अन्य आवश्यक कार्रवाईयां कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

सहायक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा.

4. जब कभी भी शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को आवर्धित करना आवश्यक है तो वे ऐसे क्षेत्र के लिए एवं ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसा कि नियम में हो, स्वयंसेवकों को नामांकित करते हुए, एक सहायक सेवा स्थापित कर सकते हैं।

5. शासन, ग्रामीण क्षेत्रों तक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की पहुँच में वृद्धि करने हेतु यथा आवश्यक अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु–विभागों और अग्निशमन केन्द्रों का सृजन करेगा।

अग्निशमन केन्द्रों का सृजन.

6. संपूर्ण राज्य में स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण, शासन में निहित होगा तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, ऐसे अग्निशमन अधिकारी, जैसा कि शासन समय–समय पर इस निमित्त नियत करे, के माध्यम से शासन द्वारा प्रशासित होंगे।

शासन में निहित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण.

7. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में, ऐसी संख्या में ऐसी श्रेणी के कर्मचारी शामिल होंगे तथा ऐसे संगठन होंगे और ऐसी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे, जैसा कि शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित करे।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का गठन एवं वर्गीकरण.

(2) शासन निम्नलिखित को नियमों द्वारा विहित कर सकेगा,–

(एक) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के विभिन्न पद;

(दो) कर्मचारियों की भर्ती की रीति और इसमें संलग्न अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की श्रेणी, योग्यतायें, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और इनसे संबंधित मामले।

8. (1) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, राज्य शासन के निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे, राज्य

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा

के महानिदेशक की नियुक्ति.

शासन, महानिदेशक को नियुक्त करेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट हो तथा ऐसे महानिदेशक को अग्निशमन अधिकारी समझा जाएगा।

(2) शासन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करते समय महानिदेशक को सहायता करने हेतु, ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या नियुक्ति प्रभार दे सकेगा जैसा कि समय–समय पर आवश्यक हो।

(3) इस प्रकार नियुक्त महानिदेशक के क्षेत्रधिकार का विस्तार, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा से संबंधित मामलों में संपूर्ण राज्य में होगा।

(4) शासन के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, महानिदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो।

अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु–विभागों और अग्निशमन केंद्रों का गठन.

9. (1) शासन, राज्य के भीतर अग्निशमन संभागों और अग्निशमन जिलों का गठन कर सकेगा।

(2) शासन, ऐसे अग्निशमन जिलों को ऐसे अग्निशमन अनु–विभागों में विभाजित कर सकेगा जैसा कि आवश्यक समझे और प्रत्येक अग्निशमन संभाग, अग्निशमन जिला और अग्निशमन अनु–विभाग में क्रमशः अग्निशमन केन्द्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) शासन, ऐसे अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु–विभागों एवं अग्निशमन केन्द्रों की सीमाओं और विस्तार में संशोधन कर सकेगा, जैसा कि प्रशासनिक और कार्यकारी दक्षता हेतु आवश्यक हो।

(4) (एक) शासन प्रत्येक के लिए निम्नलिखित को नियुक्त कर सकेगा या नियुक्ति प्रभार दे सकेगा,–

(क) प्रत्येक अग्निशमन संभाग के लिए, संभागीय अग्निशमन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को;

(ख) प्रत्येक अग्निशमन जिले के लिए, जिला अग्निशमन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को;

(ग) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए, अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को।

(दो) इस उप–धारा के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(तीन) शासन, आदेश द्वारा, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण को, निर्देशित करेगा कि किसी व्यक्ति को अग्निशमन अधिकारी नियुक्ति करे।

(5) (एक) उप–धारा (4) के अधीन नियुक्त अग्निशमन

अधिकारी, महानिदेशक के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या जारी आदेशों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो।

(दो) उपरोक्त खण्ड के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अग्नि के रोकथाम और आपदा के मामले में अग्निशमन अधिकारी, अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन अग्नि की रोकथाम या आपातकालीन स्थिति में, उक्त घटना के लिए कमांडिंग आफिसर के रूप में कार्य करेंगे और स्थानीय एवं निजी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए पदस्थ अन्य सभी, उनके अधीन कार्य करेंगे।

अग्निशमन अधिकारी को प्रमाण–पत्र जारी करना.

10. (1) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी की श्रेणी से निम्न के प्रत्येक अग्निशमन अधिकारी, भर्ती या नियुक्ति पर, शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मुहर के अधीन जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और यह ऐसे प्ररूप में होगा, जैसा कि शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विहित करे।

(2) तद्नुसार, ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम या इनके अधीन बनाये गये नियम और जारी आदेशों के अंतर्गत यथा न्यस्त शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार होंगे।

(3) प्रमाण पत्र, शून्य और प्रभावहीन हो जायेंगे यदि नामित व्यक्ति अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा छोड़ देता है अथवा वे उस अवधि के दौरान अकर्मण्य

बने रहते है जब ऐसे व्यक्ति को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से निलंबित किया गया हो।

अग्निशमन अधिकारी के निलंबन का प्रभाव.

11. किसी अग्निशमन अधिकारी में निहित शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार निलंबित रहेंगे, जब तक ऐसे अग्निशमन अधिकारी कार्यालय से निलंबनाधीन रहते है:

परंतु यह कि निलंबन के होते हुये भी, ऐसा व्यक्ति, अग्निशमन अधिकारी बना रहना नहीं छोड़ेगा और उसी प्राधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन बना रहेगा, जिनके अधीन वह बना रहता यदि उसे निलंबनाधीन नहीं किया गया होता।

महानिदेशक की सामान्य शक्तियाँ.

12. महानिदेशक, शासन के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे तथा अग्निशमन उपकरण, मशीनरी और उपकरणों, प्रशिक्षण, व्यक्तियों और घटनाओं, आपसी संबंधों का पर्यवेक्षण, कर्तव्यों का संवितरण, कानूनों, आदेशों और कार्यवाहियों की पद्धतियों के अध्ययन के सभी मामलों और कार्यकारी विवरण या कर्तव्यों का निर्वहन और राज्य के नियमों के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अग्निशमन अधिकारियों और सदस्यों में अनुशासन के अनुरक्षण के सभी मामलों में निर्देशित और विनियमित करेंगे। महानिदेशक, विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। और उपरोक्त के अतिरक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम अथवा विहित नियमों के प्रावधानों के द्वारा या इसके अंतर्गत उसको प्रदत्त, अधिरोपित या आबंटित किया जाए।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में स्वयंसेवकों की भूमिका.

13. (1) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में लोक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के क्रम में, महानिदेशक ऐसे क्षेत्रों एवं ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए, के लिये स्वयंसेवकों को नामांकित कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नामांकित प्रत्येक सदस्य,–

(एक) विहित प्ररूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा;

(दो) में सेवा के सदस्यों के सभी या कोई शक्ति, कृत्य एवं विशेषाधिकार निहित होंगे, जैसा कि विशेष रूप से प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो; तथा

(तीन) महानिदेशक या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी के अध्यधीन होंगे।

(3) कोई संगठन, संस्थान, प्राधिकरण, अभिकरण या निकाय, जैसा कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, स्वयंसेवकों के समूह का सृजन करेंगे, जो आपातकाल में परिचालित रहेंगे।

(4) स्वयंसेवकों को अग्निशमन एवं आपातकालीन केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगाः

परंतु यह कि स्वयंसेवकों की संख्या, उनका प्रशिक्षण एवं उपकरण ऐसी होंगी, जैसा कि शासन के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा विहित किया जाएः

परंतु यह और कि स्वयंसेवकों को उनके संबंधित संगठनों द्वारा सुसज्जित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन
अग्नि निवारण और स्व–नियमन

निवारक उपाय.

14. (1) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी के परिसरों या भवनों या अधिवासों और पण्डालों, जो उसकी राय में, आग के जोखिम का कारण हो सकता है, की घोषणा कर सकेगा।

(2) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों, जैसा कि विहित किया जाये, के लिए, उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित परिसरों या भवनों या पण्डालों को स्थापित करने वालों के मालिकों या कब्जाधारियों या दोनों को अपेक्षित कर सकेगा।

पण्डालों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय स्व–नियमित होंगे.

15. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पण्डालों के निर्माणकर्ता को धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन विहित अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय करने के लिए स्व–विनियामक समझा जाएगा।

(2) पण्डाल के निर्माणकर्ता, विहित प्ररूप में अपने हस्ताक्षर के साथ इस आशय का एक घोषणा पण्डाल के किसी सहजदृश्य स्थान में, प्रदर्शित करेगा कि उसने अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के सभी विहित मापदण्डों का पालन किया है।

(3) महानदेशक, नामांकित प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी, जो शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उप–धारा (2) के अधीन निर्माणकर्ता द्वारा इस प्रकार किए गए घोषणा की सत्यता के सत्यापन करने की दृष्टि से, पण्डाल

में प्रवेश करे और निरीक्षण करे और कमी, यदि कोई हो, तो उसे विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर दूर करने के निर्देशित करे। यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन, दिए गए समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी, पण्डाल को सील कर देंगे।

(4) पण्डाल का कोई निर्माणकर्ता, जो मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पण्डाल में विहित अग्नि रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया है तो उसके द्वारा इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया समझा जायेगा।

अग्नि का जोखिम का कारण बनने या अग्निशमन के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जा, वस्तु या सामान को हटाना.

16. (1) जहां धारा 14 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहाँ महानिदेशक या शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के किसी भी अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि अग्नि के जोखिम का कारण बनने वाले या अग्निशमन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार की वस्तु या कब्जे को सुरक्षित स्थान में, हटाने हेतु निर्देशित करे और यदि ऐसा करने में कोई स्वामी, कब्जाधारी या निर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, असफल रहता है तो महानिदेशक या ऐसा अधिकारी, अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, मामले के अधिनिर्णय करने हेतु अनुरोध करते हुए, मामले की रिपोर्ट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त परिसर या भवन या पण्डाल स्थित है, के समक्ष कर सकेगा:

परंतु यह कि जहां महानिदेशक या

प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकार के कब्जा या वस्तुओं या सामनों को अग्नि की जोखिम का एक आसन्न कारण या अग्निशमन के मार्ग में बाधक समझता है तो वह इस प्रकार के परिसरों या भवनों के स्वामी या कब्जाधारियों या निर्माता को इस प्रकार के अवैध कब्जे या वस्तुओं या सामानों को हटाने के लिए निर्देशित कर सकेगा और तद्नुसार अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को मामले की रिपोर्ट कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, ऐसी रीति में, जैसा कि वह उचित समझे, एक नोटिस तामील कर, अग्नि के जोखिम के संभावित कारण वाले या अग्निशमन के प्रति बाधा उत्पन्न करने वाले कब्जे या वस्तु या समान को हटाने हेतु कारण दर्शाते हुए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेंगे।

(3) स्वामी या कब्जाधारी या निर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को उप–धारा (2) के अधीन अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, इस प्रकार के कब्जे को हटाने या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन यथा जारी आदेश के निष्पादन के लिए प्रभारित व्यक्ति, उन वस्तुओं और सामानों की सूची तत्काल तैयार करेगा जिन्हें वह इस प्रकार के आदेश के अधीन जब्त करता है और साथ ही इस संबंध में यथा विहित लिखित नोटिस भी

संबंधित व्यक्ति को जब्ती के समय देंगे जिसमें यह उल्लिखित होगा कि यदि उक्त नोटिस में नियत समयावधि के भीतर उक्त जब्त वस्तुओं या सामानों का दावा नहीं किया जाता तो इन्हें बेच दिया जाएगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुवर्त में जब्त वस्तुओं का दावा करने हेतु उस व्यक्ति के असफल रहने पर, जिसके कब्जे में वस्तुओं या सामानों का कब्जा जब्ती के समय था, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक नीलामी द्वारा उन्हें बेच देंगे।

(6) कोई व्यक्ति, जो अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के किसी नोटिस या आदेश से व्यथित हैं, इस प्रकार के आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामांकित अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकते है।

(7) उप–धारा (6) के अधीन अपील, ऐसे प्ररूप और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किया जाए, के साथ किया जायेगा और नोटिस या आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, की एक प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) उप–धारा (7) के अधीन की गई अपील में पारित आदेश, अंतिम होगा।

अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा

17. किसी भी क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त है, में अग्नि से बचाव के अवसर पर, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के कोई भी सदस्य, जो उक्त स्थल पर अग्निशमन परिचालनों के प्रभारी हैं,–

के सदस्यों की शक्तियाँ.

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो अग्निशमन के परिचालन में अथवा किसी की जीवन या किसी संपत्ति की सुरक्षा में अपनी उपस्थिति द्वारा व्यवधान या बाधा उत्पन्न करता हो, को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई भी सदस्य हटा सकते हैं अथवा हटाने हेतु आदेशित कर सकते हैं, :

(दो) किसी भी सड़क या पहुँच मार्ग को, जहाँ आग लगी हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो, बंद कर सकते हैं।

(तीन) अग्निशमन कार्य करने और बचाव कार्य निष्पादित करने के प्रयोजन से, किसी भी परिसर को पाइप या उपकरणों को पहुँचाने के लिए, किसी भी तरह से, तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऐसा करने से यथासंभव कुछ नुकसान हो सकता है।

(चार) जल साधनों से उस क्षेत्र में जल आपूर्ति से संबंधित प्रभारी प्राधिकारी को अपेक्षित कर सकते हैं ताकि उस स्थान, जहां आग लगी हो, में समुचित दाब के साथ जलापूर्ति प्रदाय हो सके तथा ऐसे आग को बुझाने या आग के विस्तार को रोकने एवं बचाव कार्य कियान्वित करने के प्रयोजन के लिए, शासकीय या निजी रूप से उपलब्ध जल प्रवाह मार्ग, कुआँ, तालाब या टैंक या जल के किसी अन्य उपलब्ध स्त्रोत के जल का उपयोग कर सकते हैं;

(पांच) अग्निशमन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों की भीड़ को हटाने के लिए, किसी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में उनकी शक्तियों के समान ही शक्तियों का प्रयोग कर

सकते हैं और यह विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार की भीड़ गैर–कानूनी है और वे वही प्रतिरक्षा और सुरक्षा के हकदार होंगे जैसा कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी संबंधित अधिकारी को होता;

(छ:) ऐसा व्यक्ति, जो अग्निशमन और बचाव कार्यों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कार्मिको को जानबूझकर अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हों, को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे, अविलंब पुलिस अधिकारी को या नजदीकी पुलिस स्टेशन में, इस संक्षिप्त नोट के साथ जिसमें उसका नाम, तारीख, गिरफ्तारी के कारण का उल्लेख हो, सौंप देंगे।

(सात) सामान्यतः ऐसे उपाय भी कर सकते है, जैसा कि अग्निशमन या जीवन या संपत्ति की सुरक्षा या दोनों के लिए उसको आवश्यक प्रतीत हो।

अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति.

18. अधिवासों/भवनों/परिसरों के प्रत्येक स्वामी और कब्जाधारी या ऐसे स्वामियों या कब्जाधारियों के कोई भी संगठन, जैसा कि शासन द्वारा विहित हो, ऐसी संख्या में अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबंधित अग्नि के रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के सभी उपायों का अनुपालन और इनका प्रभावी रूप से परिचालन सुनिश्चित करेंगे।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी के व्यतिक्रम या गैर–नियुक्ति के मामले

19. (1) यदि कोई स्वामी या कब्जाधारी अथवा किसी भवन या परिसरों के स्वामियों और कब्जाधारियों का कोई संघ, धारा 18 के अधीन महानिदेशक या नामांकित प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा इस संबंध में